"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2002—ज्येष्ठ 10, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक 650/660/2002/1-8/स्था.—श्री संजय कुमार ओझा, उप-सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को दिनांक 19-11-2001 से 12-12-2001 तक 24 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश अवधि में श्री ओझा को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओझा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2002

क्रमांक 1463/1186/साप्रवि/2002/1/2.—डॉ. के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 29-5-2002 से 7-6-2002 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 8 एवं 9-6-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. चक्रवर्ती को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव के पद पर वन एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में डॉ. चक्रवर्ती को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2002

क्रमांक 1455/915/साप्रवि/2002/1/2.—श्रीमती निहारिका बारिक, उप आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 26-9-2001 से 20-10-2001 (25 दिवस) की अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21-10-2001 से 24-11-2001 (35 दिवस) तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 25-11-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए.

2. श्रीमती निहारिका बारिक को स्वीकृत अर्जित अवकाश का वेतन व अन्य भत्ते देय होंगे, असाधारण अवकाश का वेतन भत्ते देय नहीं होंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बारिक को उप आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

क्रमांक 1469/1185/साप्रवि/2002/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग को दिनांक 21-5-2002 से 7-6-2002 (18 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9-6-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन तथा अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

5. श्री सिंह के अवकाश काल में श्री डी. एस. मिश्रा, अपने कार्य के साथ-साथ सचिव, पर्यटन विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2002

क्रमांक 1472/1044/साप्रवि/2002/1/2.—श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को दिनांक 27-5-2002 से 1-6-2002 (6 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 25-26 मई 2002 एवं 2 जून 2002 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री डी. के. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री बी. पी. एस. नेताम, अपर कलेक्टर ((विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ अस्थायी रूप के आगामी आदेश तक कलेक्टर राजनांदगांव का चालू कार्यभार संभालने के लिए भी नियुक्त किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ किया किया जाता है.

4. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2002

क्रमांक 652/1135/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-5-2002 से 24-5-2002 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 एवं 26-5-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री रघुवंशी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. अवकाश से लौटने पर श्री रघुवंशी को पुनः अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. रघुवंशी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2002

क्रमांक 714/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अ. जा., अनु. जा., पि. वर्ग एवं अ. सं क. विभाग को दिनांक 1-4-2002 से 19-4-2002 तक 19 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21-4-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री ठाकुर को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. ठाकुर, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2002

क्रमांक 1039/214/2002/पचपन.—राज्य शासन एतद्द्वारा पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध अस्पताल का नामकरण तत्काल प्रभाव से "डॉ भीमराव आम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय" ("Dr. B. R. Ambedkar Memorial Hospital") करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2002

क्रमांक 2712A/लो नि/19/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है.

   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरस्त या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगा.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश लोक निर्माण अभियांत्रिक (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1969 कहलायेंगे.
2.	मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1983.

Raipur, the 14th May 2002

No. 2712A/PW/19/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation order, 2002.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time specified in the Schedule to this Order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notifcation, notice, order, rules, form, regulation, certificate or license) in exercise of the power conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh

SCHEDUEL

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Public Woaks Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1969.
2.	The Madhya Pradesh Public Works Department Engineer-in-chief and Chief Engineers Recruitment and Conditions Service Rules, 1983.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. छतवाल, सचिव.